भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1890

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोग (टीबी) के लिए ड्रोन से चिकित्सीय नमूना परिवहन

1890 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की प्रायोगिक परियोजना को देखते हुए राष्ट्रव्यापी ड्रोन-आधारित चिकित्सा नमूना परिवहन नेटवर्क अपनाने की व्यवहार्यता का आकलन किया है जिसके कारण औसत निदान समय 17.8 दिन से घटकर 6.9 दिन हो गया और निदान की लागत 9,451 रुपये से घटकर 91 रुपये हो गई;

(ख) क्या सरकार विशेष रूप से दूरदराज, जनजातीय तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत नैदानिक नमूनों के ड्रोन आधारित परिवहन को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यान्वयन रूपरेखा, वित्त पोषण सहायता और चरणबद्ध रुप से प्रारंभ करने हेतु पहचाने गए राज्यों सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जांच, परीक्षण, निदान और उपचार के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को लागू किया जाता है।

एनटीईपी के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नमूना संग्रह करने और उनके परिवहन में सहायता की जाती है, जिसमें एनएचएम के तहत पीआईपी के माध्यम से तर्कसंगत प्रस्तावों पर पहाड़ी, कठिन तराइयों और दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा नमूने का परिवहन भी शामिल है।

*****